न्यायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 11/2024 उनवान अनिता बनाम नोरत

अनिता प्रजापत पुत्री श्री भागचन्द पत्नी श्री शैतान जाति कुम्हार आयु करीबन 22 साल निवासी ग्राम कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।

—प्रार्थीगण

बनाम

नोरत पुत्र लादू जाति कुम्हार आयु 63 साल निवासी कटसूरा तहसील अरांई जिला अजमेर राज. व अन्य।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 5/7/2024

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

1. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री ध्रुव सिंह चौधरी के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 06.03.2024 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 11/2024 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री ध्रुव सिंह चौधरी ने जाहिर किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 2087 खसरा संख्या 2088, खसरा संख्या 940 कुल किता 03 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के पूर्वजो से प्राप्त हुये संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जो कि अविभाजित है। प्रार्थी संख्या 02 नाबालिग था जो कि वर्तमान में बालिग है जिसे राजस्व रिकार्ड में बालिग करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। प्रार्थी संख्या 08 बाली पुत्री लादू है लेकिन लादू की मृत्यु के बाद उसके विरासत के नामान्तरण में बाली का नाम दर्ज नहीं किया गया। दिनांक 29.02.2024 को उक्त भूमि खसरा संख्या 2087 व 2088 की 1/5 हिस्से का बेचान दीगर व्यक्ति अप्रार्थी संख्या 02 को कर दिया गया है जो कि अनजान क्रेता है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 02 को ताफैसला इस आशयक की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि कि उसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से दिनांक 29.02.2024 को जरिये रजिस्टर्ड डीड क्रय की गई आराजी का [illegible] सक्षम न्यायालय से करवाकर ही उक्त क्रयशुदा आराजी में प्रवेश करे क्योंकि वह [illegible] क्रेता है, अप्रार्थी संख्या 02 क्रयशुदा आराजी में प्रवेश नहीं करे, हस्तान्तरण नहीं करे, अप्रार्थी संख्या 05 को पाबन्द किया जावे कि पंजीयन विलेख को निष्पादित नहीं करें।

प्रकरण में दिनांक 03.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अभिभाषक श्री [illegible] गुर्जर ने अभिकथन पेश कर जाहिर किया कि वाद के पैरा संख्या 02 में वादअधीन भूमि किस गांव की है यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उल्लेख नहीं किया गया है, कोई भी काश्तकार बालिग होने पर स्वयं भी तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर राजस्व रिकार्ड में बालिग दर्ज करवा सकता है, प्रार्थीया संख्या 08 बाली पुत्र लादू ने लादू के समस्त वारिसानों को केवल अप्रार्थी संख्या 01 को छोडकर समस्त वारिसान को प्रार्थीगण के रूप में संयोजित किया है। जबकि प्रार्थीया संख्या 08 को किसी भी प्रकार का विरासती अनुतोष प्रार्थी संख्या 01 से 07 व 09 से 11 से लेना चाहिये था, प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र मिलीभगत कर पेश किया है, प्रार्थीया संख्या 08 बाली लादू की संतान नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश किया गया है। लादू की समस्त भूमि पर वाद पेश नहीं कर केवल कुछेक खसरों पर किया गया है। जवाबकर्ता वादअधीन भूमि में राजस्व रिकार्ड के अनुसार सद्भाविक क्रेता है जो कि उक्त भूमि पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है, उक्त वाद आपस में मिलीभगत करके पेश किया गया है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अविधिक होने से मय हर्जे खर्चे के खारिज करवाने की कृपा करें।

3. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पत्रावली में पेश दस्तावेजात से यह सिद्ध नहीं होता कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है न ही प्रार्थीगण ने पारिवारिक सजरा अथवा सक्षम न्यायालय का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवादित आराजी में स्वयं के हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया है। अप्रार्थी संख्या 01 विवादित आराजी का शामलाती खातेदार है तथा अप्रार्थी संख्या 02, अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से की भूमि का सदाशयी क्रेता है। हमारे द्वारा धारा 212 राज0का0अधि0 1955 के तीनो बिन्दुओं का विवेचन किया गयाः—

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— प्रार्थीगण विवादित आराजी को स्वयं की पुश्तैनी सिद्व करने में असफल रहें हैं, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे सिद्व हो कि उक्त भूमि उनकी पुश्तैनी भूमि हो। यह बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः— अप्रार्थी संख्या 01 रिकार्डेड खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 02, अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से की भूमि का सदाशयी क्रेता है, बिना किसी विधिक अधिकार के अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इन्हें असुविधा होगी। यह बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

अपूरणिय क्षतिः—बिना विधिक अधिकार के खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से इन्हें अपूरणिय क्षति होगी। यह बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

उपर्युक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचन के उपरान्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 06.03.2024 को अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested